संख्याः नि0 1709/3–5 (मा0व0जी0संघर्ष)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
देहरादून व रामनगर।

देहरादून दिनांक 09 मार्च, 2017।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "2406–02–110–06–00–मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम" के अन्तर्गत साख–सीमा मदों में बजट /साख–सीमा का आवंटन।

सन्दर्भ :– शासनादेश सं0 3309/X-2-2016-12(85)/2012 दिनांक 09.09.2016 **(छायाप्रति संलग्न)**।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1609270175** दिनांक 09.09.2016 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "**2406–02–110–06–00–मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम**" के अन्तर्गत **साख–सीमा मदों** में अवमुक्त धनराशि **₹ 30,00,000/– (₹ तीस लाख मात्र)** का ऑन लाइन आवंटन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तो एवं प्रविबन्धों के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित** प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1– मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यो में से किसी भी कार्य की लागत **₹ 5.00 लाख** से अधिक न हो तथा वृहद् निर्माण कार्यो को लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु कार्यो के पृथक–पृथक टुकडे न किये जाये। सर्वप्रथम गत वर्षो के चालू/अवशेष कार्य पूर्ण किये जाये तदोपरान्त ही नए कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त की जाये।

2– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2013 दिनांक 26.07.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी होगा।

4– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5– किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015,** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।

6– निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृति स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

7– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

8– आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1709 (1)/3–5 (मा0व0जी0संघर्ष) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 एवं अपर सचिव,वित्त (अनुभाग–4),उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

5– प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मुख्य वन संरक्षक कुमांऊँ, एवं शिवालिक जोन उत्तराखण्ड।

7– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

8– समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड। कृपया उक्त पैरा–1 से 8 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर से निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग करना सुनिश्चित किया जाय।

9–उप वन संरक्षक, आई0टी0सैल ,कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1709/3-5

अलोटमेंट आई डी - C1703270260

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -09-Mar-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Tarai West Division, Ramnagar (3288) , Treasury - Ramnaga

लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

06 - मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम

00 - मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघ् निर्माण कार्य	0	300000	300000
	0	**300000**	**300000**

Current Allotment To Above Division - 300000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 300000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	Man Animal conflict Mitigation - 361732880000404	25 लघु निर्माण कार्य	2406021100600	0	300000	300000
			Total -	**0**	**300000**	**300000**

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - **Ni-1709/3-5** अलोटमेंट आई डी - **C1703270258**

अनुदान संख्या - **027** आवंटन पत्र दिनांक -09-Mar-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Forest Division , Dehradun (3200) , Treasury - Dehradun (01

लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

06 - मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम

00 - मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघ् निर्माण कार्य	0	700000	700000
29 - अनुरक्षण	0	2000000	2000000
	0	**2700000**	**2700000**

Current Allotment To Above Division - 2700000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 2700000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम - 010032000000407	25 लघु निर्माण कार्य	2406021100600	0	700000	700000
2	मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम - 010032000000407	29 अनुरक्षण	2406021100600	0	2000000	2000000
			Total -	**0**	**2700000**	**2700000**